भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7– परियोजना/स्कीम का स्थान– विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संबर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल लाइन का निर्माण।

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र–	उत्तराखण्ड
ii)	जिला–	चमोली
iii)	वन प्रभाग–	नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)–	1.149 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति–	आरक्षित वन भूमि–1.149 है0
vi)	हरियाली का घनत्व–	0.2 (ईको क्लास VI) **(Open forest)**
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए–	सूची संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी–	भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी–	प्रस्तावित पेयजल लाईन का निर्माण आरक्षित भूमि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)–	नहीं। प्रस्तावित मार्ग न0दे0बा0रि0 के बफर जोन का हिस्सा है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ–/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/– रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।

8–	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित– वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित पेयजल लाइन के लिए वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9–	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया– है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं।

10–	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–		
	i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित–	वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
	ii)	वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	
	iii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित– वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
	vi)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्राक्कलन के अनुसार।
	v)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल– वित्तीय परिव्यय	444520.00
	vi)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित– क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है।
11–	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः– उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		संलग्न है।
12–	प्रभाग/जिला प्रोफाइल		
	iv)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र–	803000.00 है0
	v)	जिला का वन क्षेत्र–	514792.00 है0
	vi)	मामलों की संख्या सहित 1980 से– वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	121 मामलों में 856.2745 है0 वन भूमि
	vii)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	
	(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित– वन भूमि	578.081 है0
	(ख)	वनेत्तर भूमि पर– ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	रिक्त
	(क)	वन भूमि पर–	530866.00 है0
	(ख)	वनेत्तर भूमि पर–	रिक्त
13–	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश–		पेयजल लाइन के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

दिनांक.– –12–2017
स्थान.– जोशीमठ

हस्ताक्षर

नाम– (चन्द्रशेखर जोशी)
सरकारी मोहर

उप वन संरक्षक
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ (चमोली)